न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री उगमसिंह राजपुरोहित, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
....	....	....	....
149 / 2022	दावा 88RTA 136 LRA	06.07.2022	03.02.2023

माजिद चौहान पुत्र श्री जाफर चौहान तेली (मुसलमान) निवासी एव.पी. बहादूरसिंह की कोठी के पीछे वार्ड संख्या 17 चूरू तहसील जिला चूरू

—वादी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरू

—प्रतिवादी—

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए एवं 136 एल.आर.ए.

उपस्थित — 1. श्री हसनखां अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार राज

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. एवं 136 एल.आर.ए. का पेश कर निवेदन किया गया है कि वादी को बचपन वादी के माता पिता द्वारा लाड प्यार में साजिद हुसैन तथा माजिद हुसैन दो बोलते नामों से पुकारा जाता था तथा वादी के भाई को भी सैयद हुसैन तथा मोहम्मद हुसैन को भी बोते दो नामों से पुकारा जाता था। वादी के पिता जाफर हुसैन द्वारा वादी को 06 वर्ष तथा वादी के भाई की 09 वर्ष की बाल्य आयु में एक कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 11 रोही श्याम पुरा तहसील जिला चूरू (राज.) में से सैयद हुसैन तथा साजिद हुसैन पुत्रगण जाफर हुसैन जाति तेली निवासीगण वार्ड नं. 10 चूरू (वादी तथा वादी के भई सैयद हुसैन) के नाम से रजाक तथा इमामुदीन पुत्र दुला जाति तेली निवासीगण वार्ड नंमबर 07 चूरू से 12 बीघ 71/3 बिश्वा कृषि भूमि संयुक्त एवं सामलाती जरिये रजिस्ट्रड बैनामा दिनांक 04.07.2001 को खरीद की गई। जिसका नामान्तरण राजस्व रिकॉर्ड में बैनामा के अनुसार वादी का नाम साजिद हुसैन तथा वादी के भाई का सैयद हुसैन के नाम से ब.हिस्सा बराबर दर्ज किया गया। जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में सैयद हुसैन पुत्र जाफर हुसैन हिस्सा 371/2013 जाति तेली निवासी चूरू, खातेदार तथा साजिद हुसैन पुत्र जाफर हुसैन हिस्सा 371/2013 जाति तेली निवासी चूरू, खातेदार दर्ज है। बैनामा दिनांक 04.07.2001 की फोटो प्रति तथा वर्तमान जमाबंदी की प्रमाण्ति प्रति संलग्न दावा है।

बैनामा दिनांक 04.07.20[illegible] वर्ष का रहा है तथा बैनामा वादी के पिता द्वारा करवाया [illegible] बैनामा [illegible] वादी का नाम साजिद हुसैन पुत्र जाफर हुसैन बोलता नाम लिखवा दिया [illegible] वादी का जब स्कूल में [illegible]न करवाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:11 IST
Reason: SelfAttested

गया तब वादी का दूसरा वास्तविक नाम उसके पिता द्वारा माजिद चौहान पुत्र जाफर चौहान लिखवा दिया गया जिसके बाद वादी के तमाम दैनिक उपयोग के दस्तावेजात् माध्यमिक स्कूल सर्टिफिक्टे, राशनकार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड तथा पासपोर्ट आदि तमाम दस्तावेजात में वादी का नाम माजिद चौहान पुत्र जाफर चौहान चला आया है। उक्त खसरान भूमि के राजस्व रिकॉर्ड के अलावा वादी के तमाम दस्तावेज में नाम माजिद चौहान पुत्र जाफर चौहान चला आया है। जिसकी फोटो प्रति संलग्न की जा रही है।

वादी अब बालिग होने पर दिनांक 27.06.2022 को सरकारी योजनाओ से जुड़ने के लिये तथा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए हल्का पटवारी से मिला तथा उक्त खसरान भूमि के कागजात देखे तो वादी को मालूम हुआ कि उक्त खसरान भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम साजिद हुसैन पुत्र जाफर हुसैन चला आ रहा जबकि वादी के अ न्य दैनिक आवश्यकताओं के तमाम दस्तावेजता माध्यमिक स्कूल सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड तथा पासपोर्ट में वादी का नाम माजिद चौहान पुत्र जाफर चौहान चला आ रहा है। इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में साजिद हुसैन पुत्र जाफर हुसैन के स्थान पर माजिद चौहान पुत्र जाफर हुसैन के स्थान पर माजिद चौहान पुत्र जाफर चौहान घोषित करवाया जाकर संशोधित करवाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रस्तुत वाद से वादी के पक्ष में किसी भी प्रकार के नये अधिकार सृजित नहीं हो रहे है तथा ना ही किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार समाप्त हो रहे हैं। अतः उक्त वाद भूमि में वादी का साजिद हुसैन पुत्र जाफर हुसैन के स्थान पर माजिद चौहान पुत्र जाफर चौहान घोषित कर माजिद चौहान पुत्र जाफर चौहान संशोधित कर दर्ज करने का आदेश फरमावें।

वादी की ओर से पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार को होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए तत्पश्चता तहसीलदार चूरू सें जांच रिपोर्ट मंगवाई गई जिसे प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। वादी, वादी के पिता, वादी के चचेरे भाई, वादी के परिवार के अन्य सदस्य साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर बयान दिये जिन्हे लेखबद्ध कर बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पैरोकार राज की ओर से तहसीलदार चूरू की ओर से प्राप्त रिपोर्ट को ही जवाब व साक्ष्य माना जाने हेतु निवेदन किया गया जिससे साक्ष्य बंद किये जाकर बहस सुनी गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि जाहिर किया कि वादी का नाम लाड प्यार के कारण उक्त वादगत भूमि के खरीद के समय वादी के दो बोलते नाम माजिद व साजिद होने से साजिद नाम दर्ज करवा दिया गया जबकि वादी का वास्तविक नाम माजिद चौहान है वर्तमान वादी के बालिग होने पर जब सरकारी योजनओं के लाभ के लिए हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो पता चला कि वादी का राजस्व रिकॉर्ड में साजिद हुसैन है। वर्तमान में वादी के राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेजी नाम अलग–अलग होने से वादी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः वादी का नाम साजिद हुसैन पुत्र जाफर हुसैन के स्थान पर माजिद चौहा[illegible] की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाये जाने का आदेश फरमा[illegible]

उभय पक्षकारान की बह[illegible] पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन कि[illegible] संवत् 2071–2074 रोही ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:11 IST
Reason: SelfAttested

श्यामपुरा खेत खसरा नम्बर 11 तादादी 8.4857 हैक्टेयर में वादी का साजिद हुसैन पुत्र जाफर हुसैन हिस्सा 371/2013 जाति –तेली निवासी चूरू खातेदार, दर्ज है। प्रदर्श 1A बैनामा दिनांक 04.07.2001 में क्रेता सैयद हुसैन, साजिद हुसैन दर्ज है। वादी के दस्तावेजात मार्क शीट माध्यमिक स्कूल, आधार कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट में वादी का नाम माजिद चौहान पुत्र जाफर चौहान दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का देपालसर व तहसीलदार चूरू के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में माजिद चौहान का नाम साजिद हुसैन लिखा हुआ है जो गलत है। साजिद हुसैन व माजिद हुसैन एक ही व्यक्ति है।

प्रदश–2,प्रदर्श–1A वादी के नियमित दस्तावेजात्, अंकतालिक माध्यमिक, राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचानपत्र, पासपोर्ट, वादी, वादी के पिता, चचेरा भाई, परिवारिक सदस्यों के बयान, रिपोर्ट हल्का पटवारी देपालसर व तहसीलदार चूरू से परिलक्षित होता है कि वादी का माजिद व साजिद दो नाम हैं तथा वास्तविक नाम साजिद चौहान पुत्र जाफर चौहान है दोहरे नाम होने से बैनामा में वादी का नाम साजिद हुसैन पुत्र जाफर हुसैन हो गया है जो आज तक चला आ रहा है। अतः वादी वादगत कृषि भूमि में राजस्व रिकार्ड में अपना सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम अंकित कराने का अधिकारी है। इस प्रकार वादी का दावा वादी के पक्ष में प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचना एवं रिपोर्ट पटवार हल्का देपासलसर व तहसीलदार, चूरू के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर जमाबंदी ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का देपाल सर तहसील व जिला चूरू खेत खसरा नम्बर 11 में दर्ज वादी के नाम साजिद हुसैन पुत्र जाफर हुसैन के स्थान पर माजिद चौहान पुत्र जाफर चौहान किये जाने की घोषणा की जाती हैं तथा तहसीलदार चूरू को आदेश दिया जाता है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। अगर वादी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन हो या कोई सरकारी बकाया की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा। यदि वादी ने नाम दुरूस्त करवाने में कोई तथ्य छुपाया हो तो वादी स्वयं जिम्मेवार होगा। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2023को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उगमसिंह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:11 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : श्री उगमसिंह राजपुरोहित आर0ए0एस0

माजिद चौहान पुत्र श्री जाफर चौहान तेली (मुसलमान) निवासी एव.पी. बहादूरसिंह की कोठी के पीछे वार्ड संख्या 17 चूरू तहसील जिला चूरू

–वादी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरू

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88आर.टी. एवं 136 एल.आर.ए.

मुकदमा नं. 149 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री हसन खां अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर जमाबंदी ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का देपालसर तहसील व जिला चूरू खेत खसरा नम्बर 11 में दर्ज वादी के नाम साजिद हुसैन पुत्र जाफर हुसैन के स्थान पर माजिद चौहान पुत्र जाफर चौहान किये जाने की घोषणा की जाती हैं तथा तहसीलदार चूरू को आदेश दिया जाता है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। अगर वादी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन हो या कोई सरकारी बकाया की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा। यदि वादी ने नाम दुरूस्त करवाने में कोई तथ्य छुपाया हो तो वादी स्वयं जिम्मेवार होगा।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 03 माह फरवरी सन् 2023 को जारी की गई।

(उगमसिंह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:11 IST
Reason: SelfAttested